BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक 02 अप्रैल, 2024 **थाना सिकन्द्राबाद**

थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा ऑनलाइन ठगी किये गये 14,757/- रुपये अथक परिश्रम कर वापस करायें गये।

दिनांक 19-01-2023 को आवेदक मौ0 असलम पुत्र गफ्फूर निवासी ग्राम चन्द्रावली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर एक शिकायत की गयी जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुगल पे के माध्यम से आवेदक के खाते से कुल 33,000/- रूपयों की आनलाइन ठगी/निकासी किये जाने के आरोप अंकित किये गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-135/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशानुसार थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अथक परिश्रम करते हुए आवेदक से ठगे गये 14,757/- रुपये बैंक खाते में वापस कराये गये। आवेदक द्वारा आज दिनांक 02.04.2024 को थाना सिकन्द्राबाद में उपस्थित होकर थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

सावधानः- किसी अनजान व्यक्ति से खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि साझा न करें।
खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरन्त 1930 पर कॉल करें।

मीडिया सैल बुलन्दशहर